

फार्म २०१७-२५ २०२२

अच्छु सम्पति का विवरण, वर्ष-2021

1. अधिकारी / कर्मचारी का नाम **अश्वी जोशना उड्डला**
2. उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **उपर्युक्त, न. पा. नि. ५४९**
3. वर्तमान धारित पद **उपर्युक्त**
4. वर्तमान बोतन **उपर्युक्त**
5. आगामी बोतनवृद्धि की तारीख **०१-०७-२०२२**

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो | संपत्ति का नाम तथा औरे |               | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया तो खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम तथा व्याप | संपत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्त |
|---|------------------------|---------------|---------------|--|---|-----------------------|----------|
|   | संपत्ति का नाम तथा औरे | वर्तमान मूल्य |               |  |   |                       |          |
| १   | २                      | ३             | ४             | ५  | ६   | ७                     | ८        |
| १०१८  |                        |               |               |  |   |                       |          |
| १०१९  |                        |               |               |  |   |                       |          |
| १०२०  |                        |               |               |  |   |                       |          |
| १०२१  |                        |               |               |  |   |                       |          |
| १०२२  |                        |               |               |  |   |                       |          |
| निर्देश   |                        |               |               |  |   |                       |          |
| हस्ताक्षर   |                        |               |               |  |   |                       |          |
| पदनाम <b>उपर्युक्त</b>  |                        |               |               |  |   |                       |          |
| नाम <b>जोशना उड्डला</b>   |                        |               |               |  |   |                       |          |

1- जहाँ लाग न हो काट दीजिए।

2- ऐसे बालों से जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहाँ यारंगान विधि के संदर्भ में सामग्री मूल्य बतलाया जाए।

3- इसमें अत्यधिक पट्टे भी सम्मिलित हैं।

**टिप्पणी :** नप्र. शासकीय सेवक (आवश्यक) नियम, 1959 के नियम 10 (३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिकारी हो जहाँ सेवा में पाली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रयोग बाहर नहीं हो तो अधिकारी को प्रथम गहराया गया अनित अध्यया एसे विवरण भेज दिया या उसके अपने नाम पर या उसके द्वारा धारित समर्पण अथवा सम्मिलित के बारे में।

सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बांधक पर उसके द्वारा धारित समर्पण अथवा सम्मिलित के बारे में।

मो.न. १९२६२७१०५